न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 44 / 2024

अनवान : –

1. रियासत अली पुत्र हाकम अली जाति मुसलमान निवासी 14 बारानी तहसील नोहर।
2. मुकेश कुमार साहेवाल पुत्र किशनलाल साहेवाल जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

–**प्रार्थीगण**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांक:** 04/09/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि सायलान खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 2 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 74115 / 115 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 3.1630 है० भूमि में से सायल संख्या 1 का 1 / 2 हिस्सा व सायल संख्या 2 का 1 / 2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 2 बीकेके के खाता संख्या 115 / 115 के प० नं0 300 / 430 (53) के किला नं. 13 / 2 की 0.127 है0 भूमि में से पश्चिम दिशा की 0.0635 है०, किला नं. 18 ता 23 की 1.518 है० कुल तादादी 1.5815 है० भूमि सायल संख्या 1 ने तथा खाता संख्या 115 / 115 के प० नं0 330 / 430 (53) के किला नं. 13 / 2 की 0.127 है० भूमि में से पूर्व दिशा की 0.0635 है०, किला नं. 14 ता 17 व 24, 25 की 1.5815 है० भूमि सायल संख्या 2 ने जरिये बैयनामा 19.02.2024 को खरीद की थी सायलान ने जरिये वैयनामा दिनांक 19.02.2024 को भूमि अलग–अलग किला में भूमि खरीद की है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग किला नम्बर के अनुसार सायलान के भूमि दर्ज नहीं हुई इसलिए सायलान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी हक हिस्सा मुताबिक बैयनामा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह [illegible] है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:29:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र [illegible] मुताबिक बैयनामा दिनांक 19.02.2024 के अनुसार कृषि भूमि रोही मौजा 2 बीकेके तहसील नोहर के प० नं0 300[illegible] (53) के किला

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नं. 13/2 की 0.127 है0 भूमि में से पश्चिम दिशा की 0.0635 है०, किला नं. 18 ता 23 की 1.518 है० कुल तादादी 1. 5815 है० भूमि सायल संख्या 1 के नाम दर्ज करवाने तथा प० नं0 330/430 (53) के किला नं. 13/2 की 0.127 है० भूमि में से पूर्व दिशा की 0.0635 है०, किला नं. 14 ता 17 व 24, 25 की 1.5815 है0 भूमि सायल संख्या 2 के नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा 2 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 74115/115 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 3.1630 है० भूमि में से सायल संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व सायल संख्या 2 का 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 2 बीकेके के खाता संख्या 115/115 के प० नं0 300/430 (53) के किला नं. 13/2 की 0.127 है0 भूमि में से पश्चिम दिशा की 0.0635 है०, किला नं. 18 ता 23 की 1.518 है० कुल तादादी 1.5815 है० भूमि सायल संख्या 1 ने तथा खाता संख्या 115/115 के प० नं0 330/430 (53) के किला नं. 13/2 की 0.127 है० भूमि में से पूर्व दिशा की 0.0635 है०, किला नं. 14 ता 17 व 24, 25 की 1.5815 हैं० भूमि सायल संख्या 2 ने जरिये बैयनामा 19.02. 2024 को खरीद की थी सायलान ने जरिये वैयनामा दिनांक 19.02.2024 को भूमि अलग–अलग किला में भूमि खरीद की है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग किला नम्बर के अनुसार सायलान के भूमि दर्ज नहीं हुई इसलिए सायलान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 74115/115 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 3.1630 है० भूमि में से सायल संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व सायल संख्या 2 का 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पत्रावली में प्रस्तुत बैयनामा की चित्रप्रति के मुताबिक रोही मौजा 2 बीकेके के खाता संख्या 115/115 के प० नं0 300/430 (53) के किला नं. 13/2 की 0.127 है0 भूमि में से पश्चिम दिशा की 0.0635 है०, किला नं. 18 ता 23 की 1.518 है० कुल तादादी 1.5815 है० भूमि सायल संख्या 1 ने तथा खाता संख्या 115/115 के प० नं0 330/430 (53) के किला [illegible] में से पूर्व दिशा की 0.0635 है०, किला नं. 14 ता 17 व 24, 25 [illegible] संख्या 2 ने जरिये बैयनामा 19.02.2024 को खरीद की थी [illegible] आदिनांक तक दर्ज नही हुई है। इसलिए मुताबिक बैयनामा दर्ज किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:29:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है रोही मौजा 2 बीकेके तहसील नोहर के प० नं0 300/430 (53) के किला नं. 13/2 की 0.127 है0 भूमि में से पश्चिम दिशा की 0.0635 है०, किला नं. 18 ता 23 की 1.518 है० कुल तादादी 1. 5815 है० भूमि सायल संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है तथा प० नं0 330/430 (53) के किला नं. 13/2 की 0.127 है० भूमि में से पूर्व दिशा की 0.0635 है०, किला नं. 14 ता 17 व 24, 25 की 1.5815 है0 भूमि सायल संख्या 2 के नाम दर्ज की जाती है का संशोधन किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगें। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/09/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:29:11 IST
Reason: SelfAttested